

UPGK160012752002



न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (रेलवे) गोरखपुर।

मुकदमा संख्या- 1839/2002

मुकदमा अपराध संख्या- 62/2002

धारा- 323, 504, 427 भा०दं०सं०

थाना- जी०आर०पी० गोरखपुर।

स्टेट.....बनाम.....राकेश जायसवाल

दिनांक- 16.03.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर अभियुक्त राकेश जायसवाल गैर हाजिर है।

अभियुक्त के निकट भविष्य में मिलने की सम्भावना न होने के कारण उसके विरुद्ध सारी प्रक्रिया की कार्यवाही की गयी। अभियुक्त बदस्तूर फरार चल रहा है। अभियुक्त के अनुपस्थिति में उसके विरुद्ध धारा 299 दं०प्र०सं० की कार्यवाही इस पत्रावली में की गयी है।

प्रस्तुत मामले में यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 299 दं०प्र०सं० की कार्यवाही अमल में लायी गयी थी। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 62/2002 धारा 323, 504, 427 भा०दं०सं० थाना जी०आर०पी० गोरखपुर में स्थायी गैर जमानतीय वारण्ट संबंधित थाना को पत्र के साथ प्रेषित किया जाये। संबंधित थानाध्यक्ष अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 299 दं०प्र०सं० की कार्यवाही से संबंधित सजिस्टर में आवश्यक इन्द्राज करे एवं जब कभी भी अभियुक्त गिरफ्तार होता है तो उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इस संबंध में संबंधित लिपिक नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करे। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(प्राग दत्त शुक्ल)

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (रेलवे)

गोरखपुर